शोध मंथन Vol. XII No.IV Oct.-Dec. 2021 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

महिला पंचायती नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण

अंजू यादव (रिसर्च स्कॉलर)
समाजशास्त्र विभाग
श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी
गजरौला, अमरोहा (उ०प्र०)
ईमेलः *anjumannu92@gmail.com*

प्राप्तिः 10.10.2021
स्वीकृतः 28.12.2021

डॉ० करन सिंह चौहान
रिसर्च सुपरवाइजर
श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी
गजरौला, अमरोहा (उ०प्र०)

सारांश

किसी भी देश अथवा राज्य की प्रगति की जड़ उसके ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में होती है। जो महात्मा गांधी के ग्रामीण सपनों को साकार करता है यदि उस ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तो इससे सशक्त एवं समृद्ध ग्रामीण पंचायत का निर्माण होगा। ग्राम अथवा नगर का विकास तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित ना हो। पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को किस प्रकार सुनिश्चित किया जाए इसका भी समाधान ग्राम पंचायत में समाहित होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो स्वच्छंद भाव से ग्राम पंचायत के सर्वांगीण विकास के उत्थान के लिए इच्छुक होते हैं यदि ऐसी महिलाओं को जागरूक एवं आत्मबल बढ़ाकर सशक्त किया जाए तो वह अधिक प्रभावी रूप से ग्राम पंचायत में अपनी सहभागिता दर्ज कराएंगी ऐसी ही पंचायती राज महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा सरकार ने **22 अप्रैल 1994** को पंचायती राज अधिनियम लागू किया और **24 अगस्त 1994** में पंचायती राज नियमावली की रचना की **16 फरवरी 1995** में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम अधिसूचित किया गया। अलग–अलग समय पर राज्य सरकारों ने आरक्षण प्रदान किया जिससे महिलाओं के आत्मविश्वास एवं आत्मबल में इजाफा हो। भारत निर्माण में पुरुषों के साथ–साथ महिलाएं भी आज अपना योगदान पूर्ण निष्ठा और सशक्त होकर ग्रामीण पंचायत विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर रहीं हैं। महिला पंचायती नेतृत्व और महिला सशक्तिकरण के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समाज की आधी आबादी का सहयोग प्राप्त करना अति आवश्यक है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक समय तक महिलाओं के विकास में अनेक उतार–चढ़ाव आए हैं इसी क्रम में आधुनिक भारत के ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को पहचाना जा सका।

आशा है कि यह तथ्य एवं जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी और प्रभावी सिद्ध होंगी।

पंचायती राज लॉर्ड रिपन का 1822 ईसवी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए **मैग्नाकार्टा** की हैसियत रखता है रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में **2 अक्टूबर 1959** ईसवी को भारत के प्रथम **प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू** के द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर

जिला में हुआ **11 अक्टूबर 1959 ईसवी** को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। यदि किसी पंचायत को विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं किया जाता तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष होगी **(अनुच्छेद 243)**।

यदि किसी पंचायत को समय से पूर्व वितरित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के अंदर की अवधि में कराया जाता है।

राधा कमल मुखर्जी ने तो ग्राम पंचायतों को प्रजातंत्र के देवता की संज्ञा दी थी उनका कहना था कि यह पंचायतें **"समस्त ग्रामीण जनता के सामान्य सभा के रूप में अपने सदस्यों के समान अधिकारों स्वतंत्रता के लिए निर्मित होती थी। ताकि सब में समानता स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का विचार दृढ़ रहे"।**

शोध प्रश्न ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज महिलाओं को सशक्त करने का प्रभावी कारक है।

उद्देश्य

देश की आधी आबादी को ग्राम पंचायत में आधी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने हेतु विगत एवं वर्तमान सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर अंतिम पंक्ति में खड़ी महिलाओं की स्थिति में सुधार सुनिश्चित हुआ है।

शोध विधि

प्रस्तुत लेख एक आनुभाविक शोधपत्र है जिसके लिए प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को आधार बनाया गया है द्वितीयक आंकड़ों को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया गया है और प्राथमिक तथ्यों को शोधार्थी द्वारा एकत्रित किया गया है।

तथ्यों का संकलन

तथ्यों का संकलन मेरे द्वारा गुणात्मक और परिमाणात्मक स्रोतों के माध्यम से किया गया है शोध समस्या पर साहित्यिक अवलोकन हेतु विगत वर्ष तक प्रकाशित शोध पत्रिकाओं एवं जनरल मे उपलब्ध विषय सामग्री का उपयोग किया है।

उपलब्धियां

मेरे द्वारा प्रस्तुत शोध पत्र के अंतर्गत उपलब्धियां इस प्रकार रही हैं।

समाज मे महिला की सहभागिता समाज मे **राष्ट्रीय प्रणेता स्वामी विवेकानंद जी** ने विकास प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को आवश्यक बताते हुए कहा था **कि जिस प्रकार एक पंख के सहारे चिड़िया उड़ान नहीं भर सकती उसी तरह बिना महिलाओं की सहभागिता के कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है।** इसलिए हम कह सकते हैं कि महिलाएं समाज का एक सुदृढ़ अंग है अतः महिलाओं की भागीदारी के बिना सामाजिक आर्थिक विकास अकल्पनीय है। हमारे देश में स्वतंत्रता के पूर्व से ही महिलाएं शोषण के दंश को झेल रही हैं। शुरू से ही पुरुष वर्ग ने अपना वर्चस्व यथावत बनाए रखने के लिए महिलाओं को निर्णय अधिकारों से वंचित रखते हुए उनका कार्यक्षेत्र चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया था। निर्णय अधिकारों से वंचित महिलाएं अपने हितों की उपेक्षा एवं शोषण अत्याचार को मूक दर्शक की भांति देख रहे इन विभिन्न सामाजिक क्रूरता के कारण महिलाएं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास में काफी पीछे रह गई।

जितनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत की है शायद ही उतनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व में किसी देश की हो। लोकतंत्र मुख्य रूप से विकेंद्रीकरण पर आधारित एक शासन व्यवस्था है शासन के ऊपरी स्तर पर कोई लोकतंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक निचले स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ और शक्तिशाली नहीं बनाया जाएगा। लोकतंत्र में संप्रभुता का प्रवाह निम्न स्तर की तरफ से उच्च स्तर की तरफ होना चाहिए। लोकतंत्र की संकल्पना को ज्यादा यथार्थ में स्थिर देने की दिशा में पंचायत व्यवस्था एक ठोस कदम है। इससे स्थानीय शासन कार्यों में स्थानीय लोगों की रुचि सतत बनी रहती है।

ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार

जैसा की विदित है कि ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था से बीडीसी चुनाव होने से यह महसूस किया गया की महिलाएं सशक्त हो रही हैं इस तथ्य की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा जो तथ्य संकलित किए गए हैं वो इस प्रकार हैं–

पंचायत महिला प्रतिनिधियों में से 60% प्रतिनिधियों ने माना कि ग्राम पंचायत में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। उपरोक्त ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासी 50 महिलाओं से सर्वे के दौरान बातचीत से 30 महिलाओं ने माना है कि ग्राम पंचायत में महिला स्थिति में सुधार हुआ है जबकि 20 महिलाओं ने महिला स्थिति में सुधार को अस्वीकार किया अतः 60% सामान्य जीवन यापन करने वाली महिलाएं भी मानती है कि ग्राम पंचायत में महिलाएं पहले की अपेक्षा अधिक सशक्त हुई हैं।

आत्मसम्मान में इजाफा

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी होने की वजह से उनके मान–सम्मान में भी बढ़ोत्तरी हुई है उनका समाज में भी सम्मान और घर परिवार में भी सम्मान मैं इजाफा हुआ है।

राजनीतिक चेतना में जागरूकता

पंचायत में महिला प्रतिनिधि के आ जाने से ग्रामीण महिलाओं में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है जब महिला ही महिलाओं का चुनाव करेंगी तो निश्चित रूप में उनमें इस भावना का संचार होगा कि एक दिन वह भी चुनी जा सकती हैं।

सारणी संख्या 1.1

पद	महिलाः संख्या	पुरुषः संख्या	कुल
पंचायत समिति सदस्य	43% (10)	57% (13)	23
सरपंच	31.9% (23)	68% (49)	72

निर्णय क्षमता का विकास हुआ है

पुरुष प्रधान समाज की सामाजिकता तमाम दबाव के बावजूद हरियाणा के जींद जिले मैं बहुत सारी महिला सरपंचों की अधिक संख्या देखने को मिली और सरपंच के चुनाव में जीत हासिल की।

सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है

महिला सरपंचों का सामाजिक उत्थान में उनकी भागीदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सामाजिक कुरीतियों का अंत भी हो रहा है।

उदाहरण –हम कह सकते हैं कि पर्दा प्रथा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है।

शोषण के विरुद्ध जागृति उत्पन्न हुई है

भारतीय समाज में प्राचीन काल से महिलाओं ने शोषण को झेला है राम राज्य में सीता को भी वनवास जाना पड़ा था। राजा महाराजाओं के द्वारा किए जाने वाले बहुविवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसे अंधविश्वासों ने वर्षों तक महिलाओं के शोषण में पुरुषों की मदद की थी। पुरुष द्वारा महिलाओं को सार्वजनिक कार्यों से दूर करने का ही प्रयास रहता है। पंचायत केवल पुरुषों के लिए ही बनाई गई संस्था मानते थे। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिला और कुछ हद तक शोषण के विरुद्ध महिलाओं में जागृति भी आई है।

कार्यप्रणाली में खुलापन नजर आया है

ग्राम पंचायत में महिला प्रतिनिधि के कारण सार्वजनिक विषयों तथा निर्णय पर विचार विमर्ष का दायरा रसोई घर तक पहुंच गया है। जबकि पहले यह चौपालों तक ही सीमित था।

निष्कर्ष

उपर्युक्त परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद ही यह सिद्ध होता है कि पावरलेस महिला प्रतिनिधि होने के कारण उनके पति उनके अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। महिलाओं के आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण की घोषणा इस उम्मीद से की गई कि महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा और महिलाएं ग्राम पंचायत के चुनाव में भागीदारी लेंगी और गांव में अपने गुणवत्ता प्रतिभा का प्रभाव दिखाने में सक्षम होंगी। और मुखिया बनकर गांव की सरकार चलाएंगी लेकिन जिलों में और गांव में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है चुनाव जीतने के बाद ज्यादातर महिलाएं एक स्टांप बन कर रह गई और उनके पति सरपंची चला रहे हैं। लगभग 40% महिला सरपंच होने के बावजूद भी ग्राम की समस्याएं सुलझाने का काम उनके पति ही कर रहे हैं आंकड़ों पर गौर करें तो महज लगभग 2% महिलाएं ही अपनी सरपंची का सही प्रयोग कर पा रही हैं।

संदर्भ सूची

1. के० साथी (1998) 'संपा एंपावरमेंट ऑफ वूमेन' अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली ।
2. प्रभा आप्टे (1996) 'भारतीय समाज में नारी' क्लासिकल पब्लिशिंग हाउस, जयपुरैं।
3. जी० डी० भट्ट (1994) 'इमर्जिंग लीडरशिप पेटर्न इन रूरल इंडिया' एम०डी० पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
4. सुशीला कौशिक (1993) 'वुमन एंड पंचायती राज' हर आनंद पब्लिकेशन, नई दिल्लीं।
5. अवतार सिंह (1963) 'लीडरशिप एंड विलेजेस स्ट्रक्चर' स्टर्लिंग पब्लिकेशन, नई दिल्ली।